

श. वा. 52/24  
नीतादेवी / देवायाम  
सं. धारा 183 Pt Act

6.12-24

पञ्जाब बाधकता अधिनियम  
ज साहव राज्य कार्य से अलग पर ही  
पञ्जावली इलतवा होकर दिनांक  
28.1.25 को पेश हो.

28/1/25 पञ्जावली पेश हुई। वकील पञ्जायाम  
उप.। पञ्जावली वास्ते प्रतिवादी सं. 2 के  
वर्तमान पते के Regd/Ad P/F सम्मन  
प्रतिवादी सं. 1 व स्टेट के जवाबदावा  
हेतु दिनांक 15/3/25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

19/3/25 पञ्जावली पेश हुई। वकील पञ्जायाम उप.।  
पञ्जावली वास्ते प्रतिवादी सं. 2 के वर्तमान  
पते के Reg. AD P/F सम्मन प्रतिवादी  
सं. 1 व स्टेट के जवाबदावा हेतु दिनांक  
19/5/25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

19/5/25 पीठासीन अधिकारी जन सुनवाई में पधारें हैं  
उक्त: पञ्जावली दिनांक 7-7-2025 को पेश  
हो।

7/7/25 पञ्जावली पेश हुई। वकील पञ्जायाम  
उप.। वकील वादी ने पुनः पञ्जावली के  
अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को  
विद्रो किया है। जिससे उक्त वाद को भव  
भागे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने  
से विद्यमान उक्त वाद अधिनियम 183 Pt Act  
का अर्थ में withdrawal शर्तों में निर्यात  
हो निर्णय से इजलास सुनाया गया।  
पञ्जावली पुनः सुनाया होगा नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

पुनः पेश करने  
का अधिकार  
सुरक्षित रखते  
हैं विद्रो  
हो